



<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>
<p>02.08.24</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली वास्तु में पेश की व प्रतिवादी को ताफिली हेतु अतिरिक्त अवकाश दिया जाकर दिनांक 07.08.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलेक्टर (SDO) शिव </p>
<p>07.8.24</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने कारण इत्यादि हेतु पत्रावली पूर्व आदेशिकासुसार दिनांक 12.8.24 को पेश हो।</p>
<p>12.8.24</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। न्यायालय सत्र में पेशी हेतु वादी व अधिवक्ता को रुक-रुककर आवाजे दी जाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं।</p> <p>चूंकि उक्त पत्रावली ताफिली की प्रारम्भिक स्टेज पर है तथा कोई प्रभावी पेशी नहीं की जा रही है व अधिवक्ता भी लगातार अनुपस्थित है।</p> <p>अतः उक्त वाद में कोई प्रभावी पेशी नहीं होने तथा अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर उक्त पत्रावली अदालत में न अदालत हाली में खारिज की जाती है। पत्रावली न्यायिक रूप से हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलेक्टर (SDO) शिव </p>